अध्याय 4:

वित्तीय प्रबंधन

4.1. निधि प्रवाह

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) अखिल भारतीय स्तर पर राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वन के लिए नोडल एजेंसी है। इसलिए, पी.आई.ए. द्वारा धन की मांग आर.ई.सी. विधुत मंत्रालय को भेजी जानी थी । इसके आधार पर, आर.ई.सी. द्वारा धन की मांग को एम.ओ.पी. को भेजी जाएगी, जो कि मांगे गए धन को वित्तीयराज सहायता के रूप में राज्य और स्थानीय करों को छोड़कर परियोजना लागत का (90 *प्रतिशत*) आर.ई.सी. को आगे राज्यों/पी.आई.ए. को जारी करने के लिए, जारी करेंगे। परियोजना लागत का शेष 10 *प्रतिशत* संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों या वित्तीय संस्थानों, आर.ई.सी. को सम्मिलत करते हुए, से ऋण द्वारा वहन किया जाना था। निधि का प्रवाह चार्ट **चित्र 4** में है।

* राज्य विद्युत विभाग, राज्य बिजली बोर्ड, राज्य/ विद्युत वितरण कंपनियाँ (डिस्काम)

चित्र 4: निधि का प्रवाह चार्ट

आर.ई.सी. द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पी.आई.ए.) को धन के निर्गम का प्रावधान दो भागों में था (1) परियोजना लागत, आनुपातिक सेवा शुल्क और सांविधिक लेवी सहित लेकिन बी.पी.एल. कनेक्शन की लागत को छोड़कर (2) बी.पी.एल. कनेक्शन की लागत। पहले भाग को जारी करने की विधि निम्न प्रकार थी:

क) पहली किस्त: स्वीकृत परियोजना लागत का 30 *प्रतिशत* ऋण दस्तावेज[20] प्रस्तुत करने और सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के पश्चात लिए, परियोजना की स्वीकृति पत्र के अनुसार राज्य सरकार राज्य विद्युत उपयोगी उपक्रम द्वारा अपेक्षित कानूनी औपचारिकताओं सहित।

ख) दूसरी किस्त: स्वीकृत परियोजना की लागत का 30 *प्रतिशत*, पी.आई.ए. द्वारा आर.ई.सी. को व्यय व्यौरा प्रस्तुत करने की शर्त के साथ राज्य सरकार से आवश्यक सहमति लेने के उपरान्त, पहली किस्त के 80 *प्रतिशत* व्यय ब्यौरा प्रस्तुत करने के अध्यधीन।

ग) तीसरी किस्त: स्वीकृत परियोजना की लागत का 30 *प्रतिशत*, पी.आई.ए. द्वारा आर.ई.सी. को व्यय व्यौरा प्रस्तुत करने की शर्त के साथ राज्य सरकार से आवश्यक सहमति लेने के उपरान्त, पहली तथा दूसरी किस्त का संचयी 80 *प्रतिशत* व्यय ब्यौरा।

घ) चौथी तथा अंतिम किस्त: स्वीकृत परियोजना की लागत का 10 प्रतिशत,पीआईए. इस राज्य सरकार से आवश्यक सहमति लेने के पश्चात आर.ई.सी. को व्यय विवरण तथा कार्य समापन विवरण प्रस्तुत करने एवं आर.ई.सी. द्वारा अंतिम अन्वेषन के उपरांत 30 दिनों के भीतर।

द्वितीय भाग के लिए जारी करने का तरीका निम्नवत था:

- राज्य/राज्य की प्राधिकृत एजेंसी द्वारा प्रमाणित सूची के अनुसार बी.पी.एल आवासों (बी.पी.एल.1) की लागत का 50 प्रतिशत, पी.आई.ए द्वारा पूर्व में इस तरह की सूची प्रस्तुत करने की शर्त पर जारी करना था।
- शेष 50 *प्रतिशत* परियोजना की अंतिम किस्त के रूप में परियोजना के तहत प्रदान (बी.पी.एल.2) गाँव/बस्ती वार घरेलू कनेक्शन के प्रमाणित सूची, की जिसमें बी.पी.एल. घरेलू उपभोक्ता बीपीएल का नाम स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो, प्राप्त होने के उपरांत दी जानी थी।

[20] परियोजना लागत के 10 प्रतिशत के लिए ऋण दस्तावेज जो पूंजीगत पूंजी रियायत द्वारा समाविष्ट नहीं किये गए जो योजना के अनुसार परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक सीमित थे।

आर.ई.सी., ने अगस्त 2009 में, बी.पी.एल घरेलू कनेक्शन के लिए जारी किए जाने वाले शुल्क हेतु निम्नलिखित संशोधित दिशानिर्देश जारी किए :

- **पहली किस्त** बी.पी.एल. राशि (बी.पी.एल.1) का 50 *प्रतिशत,* पी.आई.ए. के अनुरोध पर अग्रिम रूप से जारी किया जाना।.

- **दूसरी किस्त** फील्ड सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर (बी.पी.एल. 2) राशि का 40 प्रतिशत, कनेक्शन की वास्तविक संख्या या परिवारों की स्वीकृत संख्या जो भी कम हो, दूसरी किस्त जारी करना इसके भी अध्यधीन था कि पी.आई.ए. द्वारा यह उत्तरदायित्व लिया जाए कि व्यय, बी.पी.एल. परिवारों को जारी अग्रिम राशि के 80 प्रतिशत से अधिक था।

- **अंतिम किस्त** 10 *प्रतिशत* की राशि, जोकि परियोजना के तहत प्रदत्त थी बी.पी.एल धरेलु कनेक्शन के गाँव/बस्ती वार प्रमाणित सूची, जिसमें बी.पी.एल. घरेलू उपभोक्ता का नाम स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो, प्राप्त होने के बाद दी जाने योग्य समझी जानी थी।

4.2. निधि का जारी होना

4.2.1. आर.ई.सी. द्वारा निधियों जारी करने में लिया गया समय

आर.ई.सी. द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर 169 चयनित परियोजनाओं के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ सभी किस्तों के जारी करने में आर.ई.सी. द्वारा असामान्य समय लिया गया जैसा कि **तालिका 10** में दर्शाया गया हैं।

तालिका 10 : मामले, जिनमें फंड जारी करने में अतिरिक्त समय लिए गये

किस्त	समय जो लिया जाना चाहिए था	परियोजनाओं की संख्या जिनमें अतिरिक्त समय लेना पाया गया	धन जारी करने में लिए गए समय की अवधि	लिए गए वास्तविक समय का सारांश			
				16-29 दिन	30-60 दिन	61-90 दिन	>90 दिन
I	ऋण दस्तावेजों के निष्पादन की तिथि और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर	71	16 से 162 दिनों	39	13	11	8
II	क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा आर.ई.सी. को	64	16 से	27	18	11	8

	व्यय विवरण प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर		182 दिन				
III	क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा आर.ई.सी. को व्यय विवरण प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर	86	16 से 209 दिन	52	23	2	9
बी.पी. एल. 1*	कोई निर्दिष्ट समय नहीं	56	1 से 255 दिन	35	19	1	1
बी.पी. एल. 2*	कोई निर्दिष्ट समय नहीं	41	1 से 131 दिन	26	11	2	2

* 15 दिनों को न्यूनतम समय सीमा को मानकर देरी की गणना की गयी है।

(स्रोतः विघुत मंत्रालय का उत्तर दिनांक अगस्त 2013)

राज्यों में लेखापरीक्षा द्वारा की गई जाँच से यह ज्ञात होता है कि पी.आई.ए. के साथ–साथ आर.ई.सी. दोनों विलम्ब के लिए उत्तरदायी थे जिससे परियोजना कार्यान्वयन एवं अनुसूची प्रभावित हुई । कुछ उदाहरणात्मक मामले निम्नलिखित हैं।

- **आंध्र प्रदेश** में ई.पी.ड़ी.सी.एल., एस.पी.ड़ी.सी.एल. तथा एन.पी.ड़ी.सी.एल. पी.आई.ए. ने त्रिपक्षीय करार[21] में अनिवार्य दस्तावेजों की निविदा देने के बाद भी आर.ई.सी. को प्रस्तुत करने में देरी[22] की जिसके कारण मध्यावधि में पहली किस्त जारी नहीं हुई । तत्पश्चात, क्रमशः[23] गुण्टूर तथा श्रीकाकुलम जैसी परियोजनाओं के मामलों में आर.ई.सी. ने निधि जारी करने में छः मास से एक वर्ष तक की देरी की।

- **झारखण्ड** की छः[24] परियोजनाओं में,
  - त्रिपक्षीय करार के विरूद्ध जिसके अनुसार आर.ई.सी. द्वारा पहली किस्त[25] जारी किए जाने के एक सप्ताह के भीतर परिजोजना के निष्पादन के लिए संविदा प्रदान की जानी थी, आर.ई.सी. ने झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड जे.एस.ई.बी की पहली किस्त जारी करने में, संविदा[26] प्रदान करने के बाद दो से तीन मास की देरी की जिससे ठेकेदारों[27] को अग्रिम देने में देरी हई जिसके परिणामस्वरूप परियोजना विलम्बित हई। आगे, आर.ई.सी. द्वारा इन

[21] डिस्कॉम ने ठेके मार्च 2006 से मई 2006 के बीच दिए जबकि निधियों के निर्गम के लिए आवश्यक प्रलेखों मार्च/जून 2006 में प्रस्तुत किए गए

[22] पक्षकारो के बीच अगस्त 2005 में त्रिपक्षीय करार हुआ

[23] चयनित नमूने में परियोजना नहीं

[24] पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, लतेहर, पलामू, सराइकेला, तथा पश्चिम सिंहभूम

[25] मार्च 2007

[26] दिसम्बर 2006/जनवरी 2007

[27] अप्रैल/मई 2007

परियोजनाओं की स्वीकृत लागत अनुमान को संशोधित करने में देरी की गई, जिसके परिणामस्वरूप निधि की अंतर राशियों को जारी करने में देरी हुई।

- पूर्वी सिंघभूम परियोजना में पी.आई.ए.ने, दूसरी संशोधित लागत अनुमान के संदर्भ में, अंतर राशि का दावा[28] आठ माह बाद किया।
- झारखण्ड राज्य विद्युतीकरण बोर्ड द्वारा दावे में 27 मास की देरी के कारण बी. पी. एल की किस्त जारी करने में देरी हुई।

इसके अलावा, निधि जारी करने में असंगति के कुछ उदाहरणात्मक मामलों का विवरण **बॉक्स 5** में दिए गए है।

बॉक्स 5: निधि जारी करने में अंसगति

मामला 1 – समयपूर्व निर्गम

आर.ई.सी. ने अपने ही दिशानिदेर्शों के विरूद्ध जम्मू तथा कश्मीर में कुपवाड़ा तथा अनन्तनाग परियोजनाओं के संदर्भ में ऋण दस्तावेजों के निष्पादन की तारीख के 11 माह पहले ही पहली किस्त ₹ 26.39 करोड़ रूपये निर्गत कर दी।

मामला 2 : रोकी गई निधि

- आर.ई.सी. **आसाम** तथा **अरूणाचल प्रदेश** में, आर.ई.सी. ने जारी की जाने वाली किस्त के कुछ भागों को रोका था, ऋण की अदायगी में दोष के कारण हुए दण्ड ब्याज को बाद की किस्तो में समायोजित किया, जो कि संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी।
- **तमिल नाडू** में आर.ई.सी. ने तमिलनाडू उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड को ₹ 13.87 करोड़ रूपये कम किस्त जारी की। कम जारी की गई राशि मार्च 2013 तक जारी नहीं की गई थी।

विद्युत मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2013), देरी के लिए निम्नलिखित कारण बताए:

- पी.आई.ए. द्वारा दावों के साथ आवश्यक दस्तावेज न प्रस्तुत किए जाना,
- राज्य सरकारों द्वारा व्यय का गैर सत्यापन/देरी,
- संबंधित राज्य सरकारो द्वारा, संशोधित स्वीकृति पत्र के नियम और शर्तों को प्रस्तुत करने में देरी, राज्यों द्वारा प्रमाणिकता जारी करने में देरी इत्यादि।

[28] संशोधित लागत अनुमान मई 2010 के संस्वीकृत किए गए जबकि पी.आई.ए. ने दावा जनवरी 2011 में किया।

अब तथ्य यह है कि निधि को लगातार जारी करने हेतु निर्धारित शर्तों के साथ आर.ई.सी./राज्य सरकारों/पी.आई.ए . द्वारा अनुपालन के क्षेत्र में लगातार सतर्कता की आवश्यकता है।

4.3. निधि का उपयोग

4.3.1. विद्युत मंत्रालय एम.ओ.पी. तथा आर.ई.सी.

जैसे कि पैरा 1.5 *पूर्वउल्लिखित* में चर्चा की गई,सी.सी.ई.ए. ने ₹ 5,000 करोड़ तथा ₹ 28,000 करोड़ क्रमशः X तथा XI परियोजना बी के लिए आर जी जी वी वीई के लिए अनमोदित किया । **तालिका 11** में एम.ओ.पी. को वजट अनुभाग/संशोधित अनुभाग के माध्यम से आर.जी.जी.वी.वाई. के लिए आबँटित निधि, एम.ओ.पी. द्वारा आर.ई.सी. को योजना के क्रियान्वयन हेतु नियमित निधियों तथा आर.ई.सी. द्वारा तदुपरान्त पी.आई.ए.. की 2004–05 से 2011–12 को दौरान नियमित निधियों का विवरण दिया गया है।

तालिका–11 पूँजीगत सब्सिडी का योजनावार निर्गम

(राशि करोड़ ₹ में)

वर्ष	एम.ओ.पी (बी.ई.) को आबंटित राशि	एम.ओ.पी (आर.ई) को आवंटित राशि	एम.ओ.पी द्वारा आर.ई.सी को निर्गमित राशि	आर.ई.सी. द्वारा पी.आई.ए. को निर्गमित राशि
10वीं योजना				
2004-06	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,402.60
2006-07	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,014.37
योग	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,416.97**
11वीं योजना				
2007-08	3,983.00	3,944.56	3,913.45	3,368.30
2008-09	5,055.00	5,500.00	5,500.00	5,109.58
2009-10	6,300.00	5,000.00	5,000.00	5,987.43
2010-11	5,500.00	5,000.00	5,000.00	3,997.87
2011-12	6,000.00	3,544.00	2,237.31	2,772.22
Total	**26,838.00**	**22,988.56**	**21,650.76**	**21,235.40**
महायोग	**31,338.00**	**27,488.56**	**26,150.76**	**25,652.37**

उपरोक्त यह संकेत करता है कि:-

- 10 वीं योजना में एम.ओ.पी द्वारा ₹ 5,000 करोड़ के अनुमोदित आउटले के विरुद्ध मात्र ₹ 4,500 आबंटित एवं निर्गमित किये गये और बदले में आर.ई.सी ने पी.आई.ए. को ₹ 4,416.97 करोड़ निर्गमित किये।

- आगे 11वीं योजना में ₹ 26,838 करोड़ की आवंटित राशि को संसोधित ₹ 22,988.56 करोड़ कर दिया गया के आवंटन के विरुद्ध मार्च 2012 तक एम.ओ.पी. ने ₹ 1,337.80 करोड़ को अनुपयोगित रखते हुऐ ₹ 21,650.76 करोड़ निर्गमित किये बदले में, आर.ई.सी. ने मार्च 2012 तक पी आइ ए को ₹ 21,235.40 करोड़ निर्गमित किया।

- एम.ओ.पी. ने 11वी योजना के (2007–08 एवं 2008–09) प्रथम दो वर्षो में सी.सी.ई.ए. द्वारा अनुमोदित ₹ 28,000 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया यहाँ तक कि पाँच वर्षो में भी प्रेक्षित अवशेष आउटले (₹ 13,812 करोड़[29]) की प्राप्ति नहीं की।

- 2004–12 की समयावधि के दौरान, आर.इ.सी. ने पी.आई.ए. को एम.ओ.पी. द्वारा आर.ई.सी. को निर्गमित निधि ₹ 26,150.76 करोड़ के विरूद्ध ₹ 25,652.37 करोड़ निर्गमित किया। आर.जी.जी.वी.वाई. के प्रावधानों के तहत एक *प्रतिशत* सेवा प्रभार जिसका मूल्य ₹ 226.37 करोड़ था तथा जो कि आर.ई.सी. को देय था, का समायोजन करने के बाद ₹ 272.02 करोड़ का अंतर (₹ 26,150.76 करोड़ घटाए ₹ 25,652.37 करोड़ घटाए ₹ 226.37 करोड़) आर.ई.सी द्वारा रोक लिया गया था । आर.ई.सी. द्वारा अधिशेष निधि पर अर्जित ब्याज तथा शासकीय लेखा में उसका निक्षेपण, आगे अनुच्छेद 4.5 में विवेचित किया गया है।

14वीं लोकसभा में,उर्जा की स्थायी समिति (2008–09) ने अपनी 31वीं प्रतिवेदन में निधियों के मंद उपयोग पर एक प्रेक्षण दिया तथा अनुसंशित किया कि एम.ओ.पी. को वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) एवं योजना आयोग से कार्यक्रम के लिए पर्याप्त निधि आबंटन पर कार्य हेतु गंभीर प्रयास करना चाहिए। यह उल्लेख करना उचित होगा कि अगस्त 2004 में एम.ओ.एफ. ने कहा था कि *"योजना की इन निधियों की विशाल राशि के संदर्भ में विभिन्न एस.ई.बी. के अवशोषण क्षमताओं पर विचार नहीं किया था। इसकी सम्भावना कम है कि वे पाँच वर्ष के कालखंड में इस राशि का अवशोषण कर सकेंगे।"* उस अर्थ में, योजना शिथिल रूप से विचारित थी। उपरोक्त उल्लिखित लेखापरीक्षण केवल इन विचारों की पुष्टि करती है।

एम.ओ.पी. ने अपने उत्तर में कहा (जून 2013) कि *''आर.जी.जी.वी.वाई. के क्रियान्वयन में एम.ओ.पी.द्वारा आर.इ.सी को निधि का निर्गमन धीमी प्रगति का मुख्य कारण नहीं था । आवंटित बजट के गैर आहरण के करणों में राज्य कम्पनियों का टर्न की रूप में परियोजनाओ को ठेका देने तथा क्रियान्वयन में अनुभव की कमी, राज्य विद्युत कम्पनीयों में समर्पित जनशक्ति की कमी, परियोजनाओ का ठेका देने में विलम्ब,समय पर वी पी एल सूची की अनुपलब्धता, बेबाकी का निर्गमन इत्यादि शामिल थे।''*

एम.ओ.पी. ने आगे कहा कि (अगस्त 2013) कि *''₹ 28,000 करोड़ का प्रावधान पूरे 11वीं योजना के लिए था और न कि मात्र 2007–08 और 2008–09के लिए''।*

यह उत्तर इस तथ्य के आलोक मे देखा जाना चाहिए कि, 2009 तक भारत निर्माण लक्ष्य[30] की प्राप्ति हेतु 11वीं योजना के प्रथम चरण के लिए हेतु ₹ 28,000 करोड़ की मांग, एम.ओ.पी. द्वारा 11वीं योजना में आर. जी.जी.वी.वाई. को जारी रखने हेतु सी.सी.इ.ए. के अनुमोदन की माँग करने वाले नोट में किया गया था। उर्जा की 31वी स्थायी समिति ने आर.जी.जी.वी.वाई. के क्रियान्वयन के लिए अनुमोदित प्रावधान के निम्नस्तरीय उपयोग पर टिप्पणी करते हुऐ यह भी प्रेक्षित किया कि

[29] ₹ 46,812 – ₹ 33,000 करोड़ = ₹ 13,812 करोड़

[30] भारत निर्माण के लक्ष्य, एक लाख से अधिक अविद्युतीकृत गाँव को विद्युतीकृत करना एवं 2.34 करोड़ ग्रामीण घरो को कनैक्शन दिलाना था

₹ 28,000 करोड़ 11वीं योजना के मात्र प्रथम दो वर्षों के लिए अनुमोदित प्रावधान था। इस प्रकार यहाँ पर एम.ओ.पी. के उत्तर एवं सी.सी.ई.ए. के उनके प्रस्ताव में एक विरोधाभास है। इससे अधिक महत्वपूर्ण कि वास्तविक उपयोग 11वी योजना के लिए पाँच वर्षों के लिए माँगे गए निधि के स्तर तक नहीं पहुँच पाए जोकि एक महत्वपूर्ण योजना, जिसने जमीनी वास्तविताओ को ठीक से समझ नहीं पाया, के प्रस्तावों में अशक्ताओ की ओर इशारा करती है।

4.3.2. परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण (पी.आई.ए.)

आर.ई.सी. ने योजना के कार्यान्वयन हेतु पूंजीगत सब्सिडी के रूप में अप्रैल 2004 से मार्च 2012 के बीच पी आइ ए को ₹ 25,652.37 करोड़ निर्गम किये जिसके विरूद्ध पी.आई.ए. द्वारा प्रतिवेदित उपयोग (20 मई 2012 तक) ₹ 22,510.14 करोड़ था। 19 राज्यो में पी.आई.ए. को पूँजी राजसहायता के रूप में निर्गमित निधि में ₹ 1.47 करोड़ से ₹ 375.07 करोड़ का अनुपयोगित अवशेष था, जब कि आठ राज्यों में निर्गमित पूंजीगत सब्सिडी के विरूद्ध ₹ 3.64 करोड़ से ₹ 115.13 करोड़ तक का उपयोग अधिक प्रतिवेदित किया गया। जैसा कि **तालिका 12** मे दिखाया गया है।

तालिका 12: पी आइ ए को आर.ई.सी. द्वारा निर्गमित पूंजीगत सब्सिडी के उपयोग की राज्यवार तुलना में उपयोग[31] (जैसा कि 28 फरवरी 2013 को था)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	निर्गमित सब्सिडी	उपयोगित सब्सिडी	अनुपयोगित सब्सिडी ₹ करोड़ में
1	आन्ध्र प्रदेश	722.86	797.72	(-) 74.86
2	अरूणाचल प्रदेश	708.22	598.30	109.92
3	असम	2,170.59	2,192.37	(-) 21.78
4	बिहार	3,496.81	3,121.74	375.07
5	छत्तीसगढ़	823.87	669.20	154.67
6	गुजरात	259.17	272.04	(-) 12.87
7	हरियाणा	158.94	176.55	(-) 17.61
8	हिमाचल प्रदेश	261.36	265.00	(-) 03.64
9	जम्मू एवं कश्मीर	705.51	672.12	33.39
10	झारखण्ड	2,756.54	2,443.76	312.78
11	कर्नाटक	658.37	773.50	(-) 115.13
12	केरल	85.66	73.33	12.33
13	मध्य प्रदेश	1,313.04	1,096.68	216.36

[31] स्त्रोत– आर.ई.सी. से प्राप्त सूचनायें

14	महाराष्ट्र	517.51	564.27	(-) 46.76
15	मणिपुर	266.49	254.56	11.93
16	मेघालय	347.60	275.85	71.75
17	मिजोरम	214.26	208.32	05.94
18	नागालैंड	203.65	196.09	07.56
19	ओडिशा	2,983.21	2,686.80	296.41
20	पंजाब	54.44	39.06	15.38
21	राजस्थान	992.07	982.93	09.14
22	सिक्किम	155.59	116.11	39.48
23	तमिलनाडु	285.18	344.31	(-) 59.13
24	त्रिपुरा	158.37	123.89	34.48
25	उत्तर प्रदेश	3,064.80	2,998.57	66.23
26	उत्तराखंड	617.59	616.12	01.47
27	पश्चिम बंगाल	2,052.95	1,988.39	64.56
	योग	**26,034.65**	**24,547.58**	

एम.ओ.पी. द्वारा जारी किये गये संस्वीकृति पत्रों की शर्तो के विरूद्ध आर.ई.सी. ने अनुमोदित परियोजनाओं के अंतर्गत भौतिक लक्ष्यों[32] की प्राप्ति के साथ निधियो की निर्गम शर्तो को नहीं जोड़ा। इसका परिणाम पी.आई.ए./ठेकेदारों को परियोजना लागत के महत्वपूर्ण अंश का निर्गमन था जो कि निर्गमित निधियो के संदर्भ में भौतिक लक्ष्यों के गैर अनुपाती था।

कुछ ऐसे दृष्टांत नीचे दिये गये है:

असम में, आपूर्ति की लागत (भाड़ा एवं बीम को शामिल करते हुए) ठेका देने की लागत के 84.71 *प्रतिशत* और 90.78 *प्रतिशत* के बीच थी, तथा स्थापना की लागत 9.22 *प्रतिशत* और 14.37 *प्रतिशत* के बीच थी। ठेकेदारों को भुगतान की शर्ते इस प्रकार थी कि प्रथम तीन किस्ते, जिनका योग अनुमोदित परियोजना लागत का 90 *प्रतिशत* थी प्राप्त की जा सकती थी जबकि भौतिक लक्ष्य प्राप्ति 10 *प्रतिशत* से कम थी।

जम्मू एव कश्मीर में, मात्र वस्तुओ की आपूर्ति पर ठेकेदार को ठेका देने की लागत का 67 प्रतिशत[33] निर्गमित किया गया।

[32] दिसम्बर 2007 में एम ओ एफ ने भी निधियों के व्यय को भौतिक लक्ष्यों के साथ संबंधित करने पर जोर दिया ताकि योजना की प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।

[33] संचारण एवं निर्माण अग्रिम सम्मिलित करते हुए

मिजोरम में,कार्य स्थल पर वस्तुओं की सुर्पूदगी के वस्तु स्थिति को सुनिश्चित करने के आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुति से संबधित महत्वपूर्ण निर्देशों को विलोपित करते हुए ठेका प्रदान प्रपत्रों को संशोधित किया गया। इस विलोपन से ठेकेदारों को ऊर्जा एवं विद्युत विभाग द्वारा वस्तुओं/उपस्करों की वास्तविक प्राप्ति से पूर्व ही वस्तुओं/उपस्करों के लिए बिल तैयार करने एव भुगतान पाने की स्वतंत्रता मिल गई । इसके साथ ही ठेकेदारों ने जुलाई 2011 एवं मार्च 2012 में उनके द्वारा कथित ₹ 204.60 करोड़ की सामग्री के लिए जो कि प्रेषित सामग्री का 70 *प्रतिशत* को निरूपित करती है के लिए ₹ 143.22 करोड़ की इनवॉइस के विरूद्ध भुगतान प्राप्त किया। प्रतिवेदित प्रेषित किये गये वस्तुओं में से ₹ 26.89 करोड़ के मूल्य की वस्तुए, कार्य स्थल पर प्राप्त नहीं हुई। वस्तुओ की कमी के कारण जून 2011 से कार्य आंशिक रूप से निलम्बित रहा।

एम.ओ.पी. ने उत्तर (अगस्त 2013) दिया कि *''पी.आई.ए. के पास वर्तमान अनुपयोगित अवशेष 31 मई 2013को उनके द्वारा प्राप्त निधि का मात्र सात प्रतिशत था, वह योजना की गतिशीलता बनाए रखने के लिए ही था। तीसरी किस्त का निर्गम भी न्यूनतम 10 प्रतिशत बी.पी.एल. विद्युत कनेक्शन के निर्गत होने और न्यूनतम 10 प्रतिशत अविद्युतीकृत गाँवो में कार्य पूर्ण होने से भी संबंधित था।''*

लेखा परीक्षा पी.आई.ए. के पास अनुपयोगित ब्यय शेषों को कम करने के प्रयास की प्रशंसा करता है। हालाँकि अभी भी परियोजना लागत का 90 *प्रतिशत* (तीसरी किस्त तक) मात्र 10 *प्रतिशत* गाँवों एवं बी.पी.एल. घरों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण होने पर ही निर्गमित किया जा सकता था। इस प्रकार, अनुश्रवण हेतु उपयुक्त प्रतिवेदनों के प्रारूपो को विकसित करने के द्वारा वित्तीय निर्गमों एवं भौतिक प्रगति के बीच सह–संबंधों के सुद्धीकरण की आवश्यकता है।

बॉक्स 6 : मणिपुर–रोकड़ पुस्तिका में लेन–देन का गैर लेखांकन

यह एक विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवहार का विषय है जैसा कि केन्द्रीय कोषागार नियम 77–ए (ii) में उल्लेखित है कि सभी मौद्रिक सहव्यवहार जैसे ही होते हैं उनके तुरन्त बाद ही रोकड़ पुस्तिका में आलेखित किये जाते है। तथा कार्यालयध्यक्ष द्वारा अभिप्रमाणित किये जाते हैं।

अधिशासी अभियंता (विद्युत) विष्णुपुर खण्ड ने हालांकि 30 अगस्त 2012 और 31 अगस्त 2012 को ₹ 1.75 करोड़ विष्णुपुर जिले में आर जी जी वी वाई के क्रियान्वयन के लिए निर्गमित किया था। परन्तु 28 अगस्त 2012 से नवंवर 2012 के बीच सभी सव्यवहार, विभागीय रोकड़ पुस्तिका में लेखाकिंत नही किये गये थे।

निर्गम राशि ₹ 1.75 करोड़ में से ₹ 44.59 लाख के दो चेकों अधिशासी अभियंता (विद्युत) विष्णुपुर प्रभाग द्वारा स्वयं नाम चेकों द्वारा आहरित किये गये थे। ₹ 44.99 लाख के भुगतान वाउचर तथा वास्तविक आदाता रशीद (ए.पी.आर) (वीजक और सुर्पुदगी चालान इत्यादि) लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये।

उपरोक्त चेको के माध्यमों से आहरित की गयी राशि के उपयोग की वस्तुस्थिति लेखापरीक्षा द्वारा भुगतान वाउचरों,ए जीआ की अनुपलब्धता तथा रोकड़ पुस्तिका में संव्यवहारों के गैर लेखांकन के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका। फलस्वरूप, इन राशियों के दुरूपयोग की सम्भावना से अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

4.4. पी.आई.ए. द्वारा विलग सब्याज लेखो का अनुरक्षण

आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत निर्गमित निधियों पर अनुरेखण एवं अनुश्रवण के लिए तथा उनके उचित उपयोग भी सुनिश्चित करने हेतु,आर.ई.सी. के दिशा निर्देशों के अनुसार पी.आई.ए, प्राप्त निधियों के लिए विलग सब्याज बैंक लेखा प्रारम्भ करें। आर.जी.जी.वी.वाई. के दिशा निर्देश यह निर्विष्ट करते हैं कि प्राप्त निधि पर अर्जित कोई भी ब्याज का लेखाकन योजना निधि के अंश के रूप में होना चाहिए। अंतिम किस्त परियोजना के समापन के समय अनुपयोगित निधि पर अर्जित ब्याज की सीमा तक कम कर देना था।

आर.जी.जी.वी.वाई निधियों के प्रबधंन की समीक्षा ने उदघोषित किया कि पी.आई.ए. ने दो राज्यों में जैसा कि आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत पूंजीगत सब्सिडी की प्रथम किस्त प्राप्त करने के तुरन्त बाद विलग बैंक लेखा खोलना आवश्यक था, नहीं खोला, विलग बैंक खाता खोलने में हिमाचल प्रदेश[34] में 24 माह तथा राजस्थान[35] में 34 से 46 माह का विलम्ब था।
चार राज्यों ने गैर ब्याजधारक बैंक खाते खोले। योजना के तहत प्राप्त निधि के ब्याजधारक खातों की रखरखाव के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 7.10 करोड़ की क्षति हुई जो कि आर.जी.जी.वी.वाई. के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता था जैसा कि **तालिका 13** में दर्शाया गया हैं।

तालिका 13 : गैर ब्याजधारक खातों में निधियों को रखने के कारण ब्याज की हानि।

(**₹** करोड़ में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	बैक लेखे की प्रकृति जिसमें निधियाँ रखी गयी	ब्याज[36] हानि
1.	छत्तीसगढ	गैर ब्याजी	0.29
2.	हिमाचल प्रदेश	गैर ब्याजी	2.29
3.	तमिलनाडु	गैर ब्याजी	3.37
4.	उत्तर प्रदेश [37]	गैर ब्याजी	1.15
		योग	**7.10**

आगे, दो राज्यों में तथापि डिस्कॉम द्वारा ब्याज अर्जित (**तालिका 14**) किये गये थे, ब्याज की ₹ 49.83 करोड़ की राशि को उनकी अपनी आय के अंश के रूप में माना गया और/या अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोगित किया गया ।

[34] हिमाचल प्रदेश में, एच.पी.एस.ई.बी. को निधि मार्च 2007 में प्राप्त हुई थी जबकि उसने खाता मार्च 2009 में खोला था।
[35] राजस्थान में ए.वी.वी.एन.एल., जे.वी.वी.एन.एल., जे.डी.वी.वी.एन.एल. को निधि क्रमशः अप्रैल 2006 मार्च 2005 और मार्च 2006 में प्राप्त हुई थी जबकि उन्होंने जनवरी 2009 से फरवरी 2009 में विभिन्न खाते खोले थे।
[36] राशि ने विभिन्न अवधियों की ब्याज की हानि की गणना को चत्रित किया, उस दौरान मामले'–दर–मामले के आधार पर चार से आठ प्रतिशत की दर पर अनियमितता प्रचलित थी
[37] अलिगढ़, जॉनपुर और मिर्जापुर के नोडल अधिकारियों ने गैर–ब्याज धार क चालू खातों में बहुत अधिक मात्रा में राशि को जाने से रोक दिया।

तालिका 14 : अर्जित ब्याज करके इसे अपनी आय के रूप में दर्शाया जाना

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	राशि
1	अरूणाचल प्रदेश	47.95
2	त्रिपुरा	01.88
योग		**49.83**

आर.जी.जी.वी.वाई. के लिए ₹56.83 करोड़ (₹ 10 करोड़ एवं ₹ 49.83 करोड़) की उपलब्धता 643 अविद्युतीकृत गाँवों[38] का विद्युतीकरण सम्भव कर दिया होता, और योजना के लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने में योगदान दिया होता ।

बॉक्स 7: रिकवरी का अपनी आय के रूप में गलत निरूपण

आन्ध्र प्रदेश में, पूर्वी विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (ई.पी.डी.सी.एस.) ने ठेकेदार द्वारा किये गये खराब कार्य का बिलों के भुगतान से ₹ 35.53 लाख की राशि की वसूली की एवं इसे आर.जी.जी.वी.वाई. परियोजनाओं में प्रयोग करने के बजाये उसे अपनी आय के रूप में निरूपित किया।

पंजाब में, पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पी.एस.पी.सी.एल.) (पूर्ववर्ती पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड) ने के.एल.जी. सिस्टल लिमिटेड, गुडगाँव (फर्म) को कुल ₹ 132.12 करोड़ की लागत के कार्य के लिये 17 वर्क ऑर्डर दिये (28 अगस्त 2008)। फर्म ने ₹ 6.61 करोड़ की बैंक गारंटी प्रस्तुत की। ठेके के अनुसार, कार्यों को एक वर्ष के अन्दर पूर्ण किया जाना था। सितम्बर 2009 से जनवरी 2011 की अतिरिक्त अवधि देने के बावजूद फर्म, कार्य पूर्ण करने में विफल रही। फर्म द्वारा ₹ 6.61 करोड़ की दी गई बैंक गारंटी (नवम्बर 2011) को पी.एस.पी.सी.एल. ने सभी वर्क ऑर्डर निरस्त कर, बैंक से गारंटी राशि अपने हक में प्राप्त कर ली एवं उस राशि को आर.जी.जी.वी.वाई. खाते में जमा करने के बजाय पी.एस.पी.सी.एल. खाते में रखा। इसके परिणामस्वरूप भी ₹ 30.56 लाख के ब्याज की हानि हुई (नवम्बर 2011 से दिसम्बर 2012 की अवधि का 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से निर्धारण)।

एम.ओ.पी./आर.ई.सी. ने समापन सभा (सितम्बर 2013) में कहा कि उन्होंने अलग से खातों को खोलने के निर्देश जारी कर दिये थे एवं इन राशि को अंतिम किस्त अदा करने से पहले समायोजित करने का आश्वासन दिया था।

4.5. प्राप्त ब्याज का अन्तिम किस्त में समायोजन करना

जैसा पूर्व पैरा 4.3 में चर्चा की गयी अच्छी–खासी राशि बगैर–उपयोग के आर.ई.सी./राज्यों के पास पड़ी रही। एम.ओ.पी. ने स्वीकृतियाँ जारी की थी जिसमें साथ–साथ यह निर्धारित किया कि अर्जित ब्याज (आर.जी.जी.वी.वाई. निधि पर) जो खाते में जाना था और जो अंतिम किस्त के समयोजित कर परियोजना की लागत में उपयोग होना था। चूँकि परियोजना बन्द नहीं हुई थी एवं अन्तिम किस्त जारी नहीं की गयी, पी.ए.आई तथा आर.ई.सी ने, 31 मार्च 2012 को, पूँजी सब्सिडी पर आर.जी.जी.वी.आई के

[38] ₹ 8.86 लाख प्रति गाँव के दर पर गणना को एम.ओ.पी. के सचिवों की समिति के नोट में अविद्युतीकृत गाँवों के विद्युतीकरण को मान्दण्ड लिया गया।

तहत ₹ 744 करोड़ का (पी.आई.ए. ₹ 668 करोड़ तथा आर.ई.सी. ₹ 76 करोड़) ब्याज अर्जित किया तथा अपने पास रखा।

आर.ई.सी. ने एम.ओ.पी. को सूचित किया (जून 2009) कि प्राप्त ब्याज के समायोजन का विशेष प्रावधान केवल अंतिम किस्त में होने के कारण परियोजना के दौरान प्राप्त ब्याज का उपयोग करने में पी.आई.एस. असमर्थ थे। अतः आर.ई.सी. ने परियोजना के दौरान प्राप्त ब्याज के उपयोग की अनुमति दूसरी और तीसरी किस्त के निर्गम के समय समायोजन के विषयाधीन के लिये एम.ओ.पी. से प्रार्थना की।

इस पर निर्णय एम.ओ.पी. में लम्बित था तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा नवम्बर 2012 में उल्लेख किये जाने के बाद दिसम्बर 2012 में एम.ओ.पी. ने आर.ई.सी. को निर्देशित किया कि *"अर्जित ब्याज की राशि को आर.ई.सी. द्वारा सरकारी खाते में तुरन्त जमा कराना चाहिये। एम.ओ.पी. ने कहा (अगस्त 2013) कि तब से, ₹ 407 करोड़ की राशि एम.ओ.पी. खाते में जमा करा दी गयी"।*

जवाब की समीक्षा इस संदर्भ में होनी है कि पूर्वतः शासकीय खाते में जमा होने वाली ₹ 337 करोड़ (₹ 744 करोड़ कम ₹ 407 करोड़) की शेष राशि खाते में नहीं भेजा गया। तथा इस सीमा तक एवं निधियाँ पी.आई.एस. के साथ थी जो आर.जी.जी.वी.वाई के उद्देश्यों को आगे नहीं बढ़ा सकी।

4.6. अनियमित सेवाभार/शुल्क का राज्य कंपनियों/सी.पी.एस.यू. को भुगतान

एम.ओ.पी. द्वारा जारी किए गए आर.जी.जी.वी.वाई. दिशानिर्देश (6 फरवरी 2008) बताता है कि योजना के कार्यान्वयन के लिये एवं 11वीं योजना में एस.पी.यूस एवं सी.पी.एस.यूस के अतिरिक्त व्यय हेतु सेवा भार के रूप में परियोजना लागत का क्रमशः आठ प्रतिशत एवं नौ प्रतिशत उपलब्ध कराने का प्रावधान किया। 10वीं योजना के लिए सी.सी.ई.ए को एम.ओ.पी. के नोट तथा आर.जी.जी.वी.वाई दिशानिर्देशों में सेवा प्रभार का कोई प्रावधान नहीं था। हालाँकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये एस.पी.यू. एवं सी.पी.एस.यू. का ₹ 1,099 करोड़ का सेवा प्रभार क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत की दर परियोजना लागत से भुगतान किया।

एम.ओ.पी. ने जबाव दिया (अगस्त 2013) कि, *"परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के लिये, आर.जी.जी.वी. वाई दिशानिर्देशों के अनुसार, डी.पी.आर बनाने के लिए सी.पी.एस.यूस के लिये परियोजना की कुल लागत का 12 प्रतिशत सेवा प्रभार एवं राज्य पावर यूटिलिटीस के लिये 10 प्रतिशत समस्त ऊपरी प्रभार देय था। 11वीं योजना के लिये टिप्पणी जो सी.सी.ई.ए. के अनुमोदन के लिये था, में बताया गया है कि राज्य यूटिलिटीस एवं सी.पी.एस.यूस. को भुगतान किया गया एजेंसी प्रभार जो वर्तमान में 10 एवं 12 प्रतिशत है, को क्रमशः 8 एवं 9 प्रतिशत संशोधन के लिये प्रस्तावित था"।*

एम.ओ.पी. का उत्तर यह स्थापित नहीं करता था कि 10वीं योजना के लिये सी.सी.ई.ए की टिप्पणी में या त्रिपक्षीय/चतुर्पक्षीय अनुबन्ध में, या योजना निर्देशों में पी.आई.एस. को सेवाप्रभार के भुगतान का प्रावधान था न ही इसके लिए 10वीं योजना में सी.सी.ई.सी. से स्पष्ट अनुमति ली गयी थी।

4.7. गैर–आर.जी.जी.वी.वाई. उद्देश्यों के लिए आर.जी.जी.वी.वाई फण्ड का अस्थाई विपथन

घटनाओं से उद्घटित हुआ जहाँ डिस्कॉम की सामान्य निधियों के साथ आर.जी.जी.वी.वाई. की ₹ 157.78 करोड़ की निधियाँ सम्मिलित थीं, जिससे उनका अन्य उद्देश्यों के लिये विपथन हुआ जो निम्न प्रकार है:

- **हरियाणा** में डिस्कॉम[39] ने ₹ 3.14 करोड़[40] की राशि को आर.जी.जी.वी.वाई निधि से विपथित किया।
- **हिमाचल प्रदेश** में, अपनी प्रतिदिन की निजी जरूरतों के पूरा करने के लिये डिस्कॉम द्वारा चम्बा जिला परियोजना के लिये प्राप्त की प्रथम किस्त की ₹ 7.48 करोड़ की राशि उपयोग की गई।
- **कर्नाटक** में, डिस्कॉम[41] ने गैर आर.जी.जी.वी.वाई उद्देश्यों के लिए ₹ 128.43 करोड़ विपथित किये उदाहरणार्थ विद्युत खरीद, वेतन भुगतान, ठेकेदारों के बिल का भुगतान, अन्य कार्यों के बिल, उधारों का भुगतान आदि।
- **महाराष्ट्र** में, आर.ई.सी. से प्राप्ति के बाद तुरन्त कार्यकारी पूँजीगत आवश्यकताओं के लिए डिस्कॉम ने निधि को अपने कैस क्रेडिट खाते में स्थानांतरित किया।
- राजस्थान में, एक डिस्कॉम[42] ने एक अलग से खाता खोलने तक, ठेकेदार को कामन खाते से भुगतान करने के लिए आर.जी.जी.वी.वाई निधियों की उपयोग किया। अप्रैल 2009/फरवरी 2010 में ₹ 12.60 करोड़ की सावधि जमा प्राप्तियों को दूसरी डिस्कॉम[43] ने आर.जी.जी.वी.वाई निधियों से खरीदा एवं नकद ऋण के भुगतान के लिए शेष आर.जी.जी.वी.वाई निधियों का उपयोग किया।
- **सिक्किम** में, ऊर्जा एवं शक्ति विभाग (ई.पी.डी.) ने दो वाहनों की खरीद के लिये ₹ 0.13 करोड़ का उपयोग किया।
- **उत्तर प्रदेश** में, आर.ई.सी. के निर्देशों के विरूद्ध, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीयू.वी.वी.एन.एल) के कौशाम्बी एवं फतेहपुर परियोजनाओं से सोनभद्र परियोजना के लिये डी. आई.एस.सी.ओ.एम[44] ने ₹ 6 करोड़ का विपथन किया (सितम्बर 2012)।
- आगे, आन्ध्र प्रदेश एवं गुजरात में, प्राप्ति के तुरन्त बाद डिस्कॉम ने आर.जी.जी.वी.वाई निधियों के लिये खोले गये विशेष खाते में केवल निम्नतम शेष राशि छोड़कर, आर.जी.वी.वी.वाई निधियों को अपने सामान्य खातों/कम्पनी[45] द्वारा धारित खातों में तुरन्त स्थानान्तरित किया एवं रखे गये आर.जी.जी.वी.वाई निधियों को अपने निजी उपयोग में लिया।

4.8. आर.जी.जी.वी.वाई. निधि का राज्य एवं स्थानीय करों में अनियमित प्रभार

एम.ओ.पी. द्वारा जारी दिशानिर्देशों (फरवरी 2008) में बताया गया कि राज्य या स्थानीय करों की राशि के अतिरिक्त, योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की सम्पूर्ण लागत को पूँजी राजसहायता के रूप में

[39] दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल) ₹ 1.84 करोड़ (जब्ती बैंक गारंटी जिसे भिवानी परियोजना निधि में जमा नहीं किया), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल) आर.ई.सी को ब्याज का भुगतान ₹ 1.30 करोड़ का उपयोग किया।

[40] लेखा परीक्षा के बाद (जुलाई 2013), ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ₹ 1.83 करोड़ की राशि को वापस किया।

[41] बंगलौर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (बी.ई.एस.सी.ओ.एम.) ₹ 57.08. करोड़ एवं गुलवर्गा विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (जी.ई.एस.सी.सी. एम) ₹ 71.35 करोड़।

[42] जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जे.वी.वी.एन.एल.)

[43] जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जे.वी.वी.एन.एल.)

[44] उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

[45] गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जे.वी.वी.एन.एल.)

उपलब्ध कराया जायेगा। इस तरह के करों को संबंधित राज्य/एस.पी.यू. द्वारा वहन करना था। आगे, आर.ई.सी. ने पी.आई.ए. को राज्य या स्थानीय करों के भुगतान का दावा बाद में राज्य सरकार पर करने के लिये भी निर्देशित किया (अगस्त 2010) एवं इन्हें परियोजना की लागत में सम्मिलित नहीं करना था।

8 राज्यों[46] में, राज्य/स्थानीय करों के लिये ₹ 59.75 करोड़ **(अनुलग्नक 8)** की राशि को आर.जी.जी.वी.वाई निधियों से भुगतान किया जोकि संबंधित राज्य/एस.पी.यू द्वारा वहन करना है।

एम.ओ.पी. ने कहा (अगस्त 2013) कि, *"आर.ई.सी.द्वारा परियोजना लागत से राज्य कर को अलग करने के लिए सभी पी.आई.ए. से पहले ही प्रार्थना की गयी है। अधिकतम पी.आई.एस. ने इस तरह के करों को, परियोजना को पूर्ण होने तक अलग करने में अपनी असमर्थता जाहिर कर दी है एवं सभी चालू 11वीं योजना परियोजनाओं के लिये परियोजना लागत की 1.5 प्रतिशत राशि को रोकने का आग्रह किया है, जब तक कि इस तरह की विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए, आर.ई.सी. ने परियोजना लागत का 1.5 प्रतिशत दर से ₹ 62.86 करोड़ की राशि को रोका हुआ है (8 राज्यों के विषय में)। उन राज्यों के विषय में, जहाँ पर वास्तविक कर का विस्तृत विवरण उपलब्ध है, उसे पी.आई.एस को जारी नहीं किया गया है। रोके हुए कर या कोई देय कर को अन्तिम किस्त जारी करते समय समायोजित/वसूली की जायेगी।"*

यह तथ्य रह जाता है कि आर.जी.जी.वी.वाई निधियों पर परिहार्य अतिरिक्त जिम्मेवारी थी जो राज्यों द्वारा उपलब्ध कराना वांछित थी, वांछित लाभार्थियों को आनुपातिक लाभों से वंचित रखा गया।

सिफारिशें

आर 3: एम.ओ.पी. सभी स्तरों (एम.ओ.पी., आर.ई.सी. व पी.आई.ए.) पर एक लेखा प्रणाली को गठित करने पर विचार करे जो निधियों के वास्तविक निर्गम और प्राप्तियों तथा अप्रयुक्त शेषों पर अर्जित ब्याज की समयोचित निगरानी को सुनिश्चित करे।

आर 4:एम.ओ.पी. व नोडल एजेंसी, आर.ई.सी. को पी.आई.ए. द्वारा बैंकों में रखी गयी पूँजीगत सब्सिडी और आर.जी.जी.वी.वाई निधियों पर, जो परियोजना लागतों के लिए राज्य/स्थानीय करों के भुगतान के लिए प्रयोग की गयी थी पर अर्जित ब्याज को वसूलने/समायोजित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।

---

[46]बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब एवं सिक्किम